लघु उद्योग/इकाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र

4305. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-प्रशासन द्वारा लघु उद्योग/इकाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में कौन-कौन से नियम और मानदंड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों और मानदंडों का इस्तेमाल पक्षपात पूर्ण ढंग से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सच है लघु उद्योग/इकाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करते समय शर्तों को लागू करने में काफी पक्षपात किया जाता है; और

(ङ) जनवरी, 1993 से जून, 1993 तक कितने पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और कितने प्रमाण-पत्रों पर कोई शर्तें नहीं लगायी गयी हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार लघु उद्योग एककों का लघु उद्योग पंजीकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पंजीकरण नीति के अनुसार किया जाता है जो विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थापना स्थल नीति पर आधारित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

स्थायी तथा अनंतिम पंजीकरणों की संख्या इस प्रकार है :—

(ङ)	स्थायी पंजीकरणों की संख्या	अनंतिम पंजीकरणों की संख्या
	426 शर्तों के साथ	795
	352 शर्तों के बिना	781
	74	14

Fonda for TAFCO and SIL

4306. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to the Starred Question 72 on the 29th April, 1993, and state:

(a) whether Government have made efforts to make the funds available from banking sector and/or from the market resources to PSUs;

(b) whether it is a fact that the companies are receiving more and more export enquiries and orders from abroad because of competitive pricing of their products;

(c) whether all these efforts towards offers of goods both to export and domestic markets are being frustrated due to paucity of funds and indecision about their very existence;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what immediate steps are being taken to provide these companies viz. TAFCO and SIL to get some working capital ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) Both SIL and TAFCO have export enquiries.

(c) While shortage of working capital has a bearing on the overall performance of the company, the execution of export orders is generally backed by letters of credit and export credits.

(d) Does not arise in view of the answer to part (c) above

(e) A budgetary support of Rs. 12.95 crores to Scooters India Ltd. and Rs. 5.50 crores to Tannery .& Footwear Corporation has been provided by the Govt, in the 1993-94 budget to meet the fund requirements of these two companies.

Investment by PSUs

4307. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many public sector units have invested surplus funds in gross violation of rules, orders and guidelines to deposit of funds in banks;

(b) if so, what are the details thereof and what are the reasons therefor; and

(c) what actions have been taken against

such public sector units ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINIS- TER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The C&AG of India report No. (1) & (3) of 1993 contains a para on investment of sur- plus funds by some public sector undertakings. The PSEs and the administrative Ministries/ Departments concerned look into the specific objections mentioned in the C&AG report and take suitable remedial measures.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यशील पूंजी की कमी

4308. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता का कम उपयोग होने का प्रमुख कारण कार्यशील पूंजी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से कौन-कौन से उपक्रम प्रभावित हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हैं । कुछ सरकारी उपक्रमों के मामले में कार्यचालन पूंजी की कमी इन कारणों में से एक सुसंगत कारण है । क्षमता के कम उपयोग के अन्य कारण हैं—कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, बिजली की कमी, ऋणादेशों की कमी, संयंत्र एवं मशीनों की खराबी तथा निम्न उत्पादकता/क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने यह सूचित किया है कि कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण उक्त अवधि के दौरान उनकी क्षमता उपयोग प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है । इन उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) । कार्यचालन पूंजी के प्रबन्ध का दायित्व मुख्यत: प्रबन्धन का है । बहरहाल यदि संसाधन उपलब्ध हो तो सरकार कुछेक सरकारी उपक्रमों को गैर-योजनागत ऋण भी देती है ताकि वे अपने कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें ।

विवरण

1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
2. भारत ऑक्सीजन्स एंड लि०
3. एसिग्रन मिक्स कंपनी लि०
4. भारतीय उर्वरक निगम लि०
5. भारी इंजीनियरी निगम लि०
6. इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
7. महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
8. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
9. राष्ट्रीय आईसाईकिल निगम लि०
10. नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०
11. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
12. नेटेका (गुजरात) लि०
13. नेटेका (सारुथ महाराष्ट्र) लि०
14. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा) लि०
15. उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
17. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
18. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित केन्द्र

4309. **श्री गोपाल सिंह जी खोतपोती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में इस समय राज्य-वार और जिला-वार कितने खादी ग्रामोद्योग केन्द्र स्थापित हैं;

(ख) इन केन्द्रों में किस-किस चीज का उत्पादन होता है; इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; इन केन्द्रों में कितने पुरुष कर्मचारी हैं और कितनी महिला कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में कोई धनराशि आवंटित की जा रही है; क्या इन केन्द्रों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और देश में कितने नए केन्द्र खोले जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) के० वी० आई० सी० सीधे पंजीकृत संस्थाओं के जरिये खादी कार्यक्रम चलाती है जबकि ग्रामोद्योग कार्यक्रम मुख्यत: के० वी० आई० बोर्डों द्वारा चलाया जाता है । 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 2353 है । के० वी० आई० कार्यक्रम अनेक सहकारी समितियों द्वारा भी चलाये जाते हैं जिनकी संख्या 29813 है तथा 30 राज्य के० वी० आई० बोर्ड हैं ।

(ख) खादी के अतिरिक्त के० वी० आई० सी० के कार्य-क्षेत्र तथा के० वी० आई० सी० अधिनियम के अधीन आने वाले